बिहार सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-रा0वि0आ0(6)का0-39/2018-(पार्ट)-1835 /पटना, दिनांक- 20/02/19

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 71 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल **श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त)** की अध्यक्षता में षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित दो अन्य सदस्य शामिल होंगे, अर्थात :-

1. श्री नवीन चन्द्र झा सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 (1999) - सदस्य
2. डॉ0 प्रभात प्रसाद घोष, निदेशक, आद्री (एम0 सांख्यिकी, पी0एच0डी0) - सदस्य

2. आयोग पंचायतों (जिला परिषद् पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्न विषयों के संबंध में अपनी अनुशंसाएँ देगा :-

(क) वैसे सिद्धांत जो निम्नांकित को विनियमित करेंगे :-

(i) राज्य, पंचायतों (जिला परिषद् पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) के बीच सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क तथा फीस के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का पंचायतों (जिला परिषद् पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) के बीच उनके अपने-अपने अनुपात के अनुसार वितरण,

(ii) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सौंपे जानेवाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जानेवाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण,

(iii) राज्य की संचित निधि से पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को दिया जानेवाला सहायता अनुदान,

(ख) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय,

(ग) आयोग अपने निष्कर्षों का आधार निर्दिष्ट करेगा एवं पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की प्राप्तिओं तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध कराएगा ।

3. आयोग संदर्भित विषयों पर 31 जनवरी, 2020 तक अपना प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा ।

4. आयोग संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा ।

5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ता एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा ।

6. आयोग को सचिवालीय सहायता वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/2/2019

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक- रा0वि0आ0(6)का0-39/2018-(पार्ट) -1835 **पटना, दिनांक-** 20/02/19

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद्/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जिला परिषद्)/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/2/2019

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक- रा0वि0आ0(6)का0-39/2018-(पार्ट) - 1835 **पटना, दिनांक**- 20/02/19

प्रतिलिपिः- सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार/बिहार राज्य पंचायत परिषद्, म्युजियम रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/2/2019

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक- रा0वि0आ0(6)का0-39/2018-(पार्ट) - 1835 **पटना, दिनांक**- 20/02/19

प्रतिलिपिः- प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/2/2019

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक-रा0वि0आ0(6)का0-39/2018-(पार्ट) - 1835 **पटना, दिनांक**- 20/02/19

प्रतिलिपिः- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार/सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मौलाना आजाद रोड, राजपथ रोड, केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन के समीप, नई दिल्ली-110001/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/2/2019

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक-रा0वि0आ0(6)का0-39/2018-(पार्ट) - 1835 **पटना, दिनांक**- 20/02/19

प्रतिलिपिः- श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त)/श्री नवीन चन्द्र झा सेवानिवृत्त भा0प्र0से0/डॉ0 प्रभात प्रसाद घोष, निदेशक, आद्री को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/2/2019

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक-रा0वि0आ0(6)का0-39/2018-(पार्ट)- 1835 पटना, दिनांक- 20/02/19

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की पांच सौ प्रतियाँ वित्त विभाग, वित्त आयोग प्रभाग (प्रशाखा-35), बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ।

20/2/2019

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग
बिहार, पटना